न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 204/2018

अनवान :

1–दलजीत सिंह पुत्र रणधीर सिंह जाति जाट निवासीवार्ड नं.24 भादरा

–वादी

बनाम

1. बिमला
2. प्रेमा
3. सरोज
4. सुमित्राा
5. इन्द्रावती
6. मामनराम

6ए दलबाग

} पि.रजौ पत्नी भानीराम जाति जाट निवासीगण सदाऊ तहसील राजगढ।

7. राजस्थान सरकार जरीऐ तहसीलदार राजस्व भादरा
8. हर आम व खास

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा
88 राजस्थान काश्त अधिनियम 1955

उपस्थिति–वकील श्री विरेन्द्र सिंह बैनीवाल :वादी
श्री सतवीर बैनीवाल :प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6
राज.पैरोकार :प्रतिवादी सं. 7

निर्णय दिनांक: 8.1.19

संक्षेप में दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कलाना की मुताबिक वसीयत खाता संख्या–200/209 के खसरा संख्या–4.3770 है0 वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या–441/414 के खसरा संख्या 962 की कुल 4.3770 है0 भूमि रजो पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी सदाऊ तहसील राजगढ़ जिला चूरू के नाम दर्ज है। उक्त भूमि रजो देवी की जरीए विक्रय पत्र दिनांक–16.01.2013 को खुद की खरीद शुदा है। रजो पत्नी भानीराम का देहान्त दिनांक–21.05.2015 को हो चूका है। मृतक वसीयतकर्ता रजो वादी के साथ ही निवास करती थी ओर वादी से अतिप्रेम व स्नेह रखती थी इसी प्रेम व स्नेह से रजो ने दिनांक–09.12.2014 को वादी के पक्ष में रोही मोजा कलाना के खाता संख्या 200/209 के खसरा संख्या–962 की 4.3770 है0 भूमि की वसीयत वादी के पक्ष में कर उप पंजीयक

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)भादरा(हनु.)

भादरा के समक्ष तस्दीक व रजिस्टर्ड करवा दी थी रजो देवी का दिनांक— 21.05.2015 को देहान्त हो गया है जिस पर रजो देवी की ऊपर वर्णित खातेदारी कृषि भूमि वादी को प्राप्त हो गई तथा मुताबिक वसीयत रजो देवी की उक्त खातेदारी भूमि का वादी खातेदार काश्तकार हो गया परन्तु उक्त भूमि आज भी रजो देवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है जिस से वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वादी न्यायालय से यह घोषणा करवाने का कानूनी अधिकारी है कि वादभूमि रोही मोजा कलाना के खाता संख्या—200/209 के खसरा संख्या 962 की 4.3770 है0 भूमि मुताबिक वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 441/414 के खसरा संख्या— 962 की 4.3770 है0 बारानी कृषि भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है बाद किए जाने घोषणा जमाबंदी हाल को तदनुसार दुरूस्ती की जाकर रजो देवी पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी सदाऊ तहसील राजगढ़ जिला चूरू राज0 का नाम कलमजन किया जाकर वादी दलजीत सिंह पुत्र श्री रणधीर सिंह जाति जाट निवासी वार्ड नं. 24 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाऐ ।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीऐ सम्मन तलब किया गया बाद तामिल प्रति संख्या 1 ता 6 जरीए वकील न्यायालय में उपस्थित आए जवाब पेश नहीं करना चाहा व प्रति सं. 7 ने अपना जवाब पेश किया व प्रति. संख्या 8 के लिए वादी के द्वारा दिनांक 10. 09.2018 को अखबार में साया करवाया गया जिसके खण्डन के लिए न्यायालय में कोई प्रतिपक्ष उप. नही हुआ

साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू 1 दलजीत पुत्र रणधीर सिंह जाति जाट निवासी भादरा ने अपने साक्ष्य ताईद में जमाबंदी ग्राम कलाना खाता संख्या 441/414 प्रदर्श 1, असल वसीयत दिनांक 09.12.2014 प्रदर्श 02, जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श 2ए, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 03, जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श 3ए, वसीयतकर्ता रजो द्वारा खरीद शुद्धा भूमि का बैयनामा प्रदर्श 4, जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श 4ए, रजो का वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5, जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श 5ए, प्रदर्शित करवाए व गवाह पी.डब्ल्यू 2 सत्यवान पुत्र मुलचन्द जाति जाट निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा को पेश किया व पी.डब्ल्यू 3 वसीकानवीस भगवतदयाल शर्मा पुत्र श्री पूर्णमल शर्मा निवासी भादरा को पेश किया जिसने अपना असल रजि0 प्रदर्श चित्रप्रति पेश किया वकील प्रतिवादी ने कोई प्रति परीक्षा गवाहान से नहीं की व ना ही अपनी साक्ष्य पेश करना चाहा।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में रोही मौजा कलाना के वर्तमान खाता संख्या 441/414 के खसरा संख्या 962 की 4.3770 है0 भूमि रजो देवी पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

सदाऊ तहसील राजगढ़ जिला चूरू के नाम दर्ज है, को वादी वसीयत दिनांक 09.12.2014 के आधार पर अपने हको की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है।

वसीयतकर्ता रजो देवी की अपनी खरीद शुदा भूमि की वसीयत करने का पुरा अधिकार था जिसके अनुसरण में रजो देवी द्वारा वादी के पक्ष में वसीयत की गई व रामदेई के विधिक वारिस भी पत्रावली पर उपस्थित आए है । वसीयत सब रजिस्ट्रार भादरा द्वारा रजि0 है व वसीयत को किसी पक्षकार द्वारा किसी न्यायालय में चुनौती दी हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में इस वसीयत को गलत व मिथ्या या संदिग्ध नहीं माना जा सकता है। वादी के पक्ष में रजो देवी द्वारा की गई वसीयत के खण्डन में कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही हुआ है । वादी द्वारा जरीऐ साक्ष्य वाद व वसीयत को साबित किया गया है ।

अतः वाद वादी डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा कलाना के जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 441/414 के खसरा संख्या 962 की 4.3770 है0 भूमि जो मृतका वसीयतकर्ता रजो देवी पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी सदाऊ तहसील राजगढ़ के नाम दर्ज है का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रजो देवी पत्नी भानी राम जाति जाट निवासी सदाऊ तहसील राजगढ़ का नाम कलमजन किया जाकर वादी दलजीत पुत्र श्री रणधीर सिंह जाति जाट निवासी वार्ड नं. 24 भादरा को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8.1.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 204/2018

अनवान :

1–दलजीत सिंह पुत्र रणधीर सिंह जाति जाट निवासीवार्ड नं.24 भादरा
—वादी

बनाम

1. बिमला
2. प्रेमा
3. सरोज
4. सुमित्राा
5. इन्द्रावती
6. मामनराम
6ए दलबाग

} पि.रजौ पत्नी भानीराम जाति जाट निवासीगण सदाऊ. तहसील राजगढ।

7. राजस्थान सरकार जरीऐ तहसीलदार राजस्व भादरा
8. हर आम व खास

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा से समक्ष वकील वादी विरेन्द्र बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा कलाना के जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 441/414 के खसरा संख्या 962 की 4.3770 है0 भूमि जो मृतका वसीयतकर्ता रजो देवी पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी सदाऊ तहसील राजेगढ़ के नाम दर्ज है का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रजो देवी पत्नी भानी राम जाति जाट निवासी सदाऊ तहसील राजगढ़ का नाम कलमजन किया जाकर वादी दलजीत पुत्र श्री रणधीर सिंह जाति जाट निवासी वार्ड नं. 24 भादरा को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 8.1.19...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़